भारत में नियोजित (अभिप्रेरित) सामाजिक परिवर्तन

[PLANNED (INDUCED) SOCIAL CHANGE IN INDIA]

समय के साथ-साथ समूह, समाज एवं राष्ट्र बदलते हैं, उनके सोचने-विचारने, कार्य करने एवं मूल्यों, आदर्शों तथा आचार-व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी तक परिवर्तन के सम्बन्ध में यह धारणा प्रचलित थी कि यह स्वत: ही होता है और जान-बूझकर या चेतन प्रयत्न के द्वारा लाया नहीं जाता, लेकिन बीसवीं शताब्दी में इस धारणा में कुछ बदलाव आया। अब यह महसूस किया जाने लगा कि समाज में निश्चित अवधि में परिवर्तन लाने हेतु चेतन रूप में प्रयत्न किया जा सकता है, कोई योजना बनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। यदि परिवर्तन को कोई दिशा नहीं दी जाए, यदि उसे ऐतिहासिक, भौतिक एवं प्राकृतिक शक्तियों पर छोड़ दिया जाए, तो सम्भव है कि भविष्य का समाज वैसा नहीं बन पाये जैसा हम बनाना चाहते हैं। ऐसी दशा में यह आवश्यक नहीं है कि परिवर्तन इच्छित या वांछनीय ही हो। ऐसे अनियोजित परिवर्तन के फलस्वरूप सम्भव है कि समाज प्रगति करने के बजाय अवनति की ओर उन्मुख हो। आज इस बीसवीं शताब्दी में कोई भी देश यह नहीं चाहता कि समाज में मनमाने या अनियोजित तरीके से परिवर्तन आये। प्रत्येक समाज अपने को आज उन्नत करना चाहता है, विकास की ओर आगे बढ़ना चाहता है। यह सब कुछ उसी समय सम्भव है जब इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किये जाएं।

आज पिछड़े हुए या अविकसित राष्ट्र विकासशील और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आना चाहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र चेतन प्रयत्नों द्वारा एक निश्चित अवधि में कुछ इच्छित या वांछनीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा करके वह अपनी समाज-व्यवस्था को इस प्रकार बदलना चाहता है कि लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल सके, अभावों पर विजय प्राप्त की जा सके, जीवन का सर्वांगीण विकास किया जा सके। यह सब कुछ नियोजन या आयोजन (Planning) के द्वारा ही सम्भव है। 1918 की प्रसिद्ध रूसी क्रान्ति के पश्चात् रूस सर्वप्रथम नियोजन की दिशा में आगे बढ़ा। उसने अपने समाज के भावी विकास की रूपरेखा तैयार की, विकास सम्बन्धी एक के बाद एक दूसरी योजना बनायीं, उन्हें क्रियान्वित किया और विश्व की एक महान् शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। नियोजन के फलस्वरूप ही आज रूस विकसित राष्ट्रों में एक प्रमुख राष्ट्र है।

जहां तक भारत का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि यहां सन् 1947 में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् लोगों का ध्यान नियोजित (अभिप्रेरित) सामाजिक परिवर्तन (Planned Change) की ओर गया। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व लोग नियोजित परिवर्तन के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते थे अथवा समाज के पुनर्निर्माण की बात सोचते नहीं थे। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व भी भारत के लोग नियोजित परिवर्तन के प्रति जागरूक थे। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् तो यहां देश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर एक के बाद दूसरी और तीसरी योजनाएं बनायी गयीं और क्रियान्वित की गयीं।

क्या सामाजिक परिवर्तन को नियोजित या अभिप्रेरित किया जा सकता है?

यहां यह प्रश्न उठता है कि **क्या सामाजिक परिवर्तन को नियोजित अथवा अभिप्रेरित किया जा सकता है, क्या ऐसा करना**

Scanned with CamScanner

सम्भव है? इस सम्बन्ध में दो मत पाये जाते हैं। प्रथम मत को मानने वाले समाजशास्त्रियों जैसे, **समनर तथा केलर, आदि का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन को नियोजित, निर्देशित या नियन्त्रित नहीं किया जा सकता है।** इसका कारण यह है कि मानवीय समाज अपनी गति से प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलता है। जिस प्रकार प्रकृति के प्रत्येक क्षेत्र में निश्चित नियमों के आधार पर परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार मानव समाज में भी अपने आप अर्थात् स्वतः चलित परिवर्तन होते रहते हैं। सामाजिक परिवर्तन को मानवीय हस्तक्षेप से नियन्त्रित नहीं किया जा सकता है। मानवीय हस्तक्षेप से परिवर्तन की प्राकृतिक शक्तियों को रोका नहीं जा सकता। इसके विपरीत, दूसरे मत के मानने वाले समाजशास्त्रियों जैसे, **एल. एफ. वार्ड, एल्वुड कार्ल मार्क्स, हॉबहाउस तथा अनेक अन्य आधुनिक समाजशास्त्रियों का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन को नियोजित या अभिप्रेरित किया जा सकता है।** समाज विशेष के लोग बौद्धिक चिन्तन अर्थात् सोच-विचारकर अपने समाज के विकास की योजना बना सकते हैं तथा साधनों को जुटाकर उसे क्रियान्वित कर सकते हैं और इच्छित दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व सोवियत संघ ने पिछले पचास वर्षों में नियोजन के द्वारा ही अपनी समाज-व्यवस्था को बदलने और अपने यहां सामाजिक परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त की। भारत भी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा इच्छित दिशा में सामाजिक परिवर्तन लाने एवं जन-जीवन को समृद्धशाली बनाने का प्रयत्न कर रहा है।

नियोजित या अभिप्रेरित सामाजिक परिवर्तन का अर्थ
(MEANING OF PLANNED OR INDUCED SOCIAL CHANGE)

यहां हमें प्रारम्भ में ही इस बात को भली-भांति समझ लेना चाहिए कि सामाजिक नियोजन (Social Planning) तथा नियोजित परिवर्तन (Planned Change) दो विभिन्न अवधारणाएं न होकर एक-दूसरे की पर्यायवाची हैं। नियोजित सामाजिक परिवर्तन को समझने की दृष्टि से यहां नियोजन के सम्बन्ध में यथार्थ जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। **गुन्नार मिर्डल** (G. Myrdal) के अनुसार, "नियोजन का अर्थ एक देश की सरकार द्वारा सामान्यतः अन्य सामूहिक समितियों की सहभागिता सहित सामाजिक नीतियों को अधिक तार्किकता के साथ समन्वित करने का चेतन प्रयत्न (Conscious Attempt) है ताकि भावी विकास के इच्छित लक्ष्यों, जिनका निर्धारण राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, तक अधिक पूर्णतः और तेजी से पहुंचा जा सके।" **ग्रिफिन तथा इनास** (Grifin and Enos) के अनुसार, "नियोजन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक बेहतर साधन है और मानवीय क्रियाओं की उद्देश्यपूर्ण दिशा है।" **लारबिन** ने बताया है, "नियोजन साधारणतया मानवीय शक्ति को विवेकसम्मत तथा वांछनीय लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का एक प्रयास है।" उपर्युक्त परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि **नियोजन वह चेतन प्रयास है जिसके द्वारा वांछनीय या इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सामूहिक रूप से कार्य किया जाता है। इसमें मानवीय क्रियाओं को एक निश्चित दिशा में मोड़ने का प्रयत्न किया जाता है।** निश्चित दिशा का निर्धारण इच्छित लक्ष्यों के आधार पर होता है और ये लक्ष्य राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा तय होते हैं। **नियोजन या नियोजित परिवर्तन एक ऐसा प्रयास है जिसमें सीमित साधनों का इस प्रकार विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाता है कि अधिकतम लाभ की प्राप्ति और इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति हो सके।**

नियोजन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं—प्रथम, आर्थिक नियोजन (Economic Planning) **तथा द्वितीय, सामाजिक नियोजन** (Social Planning)। आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत आर्थिक उद्देश्यों, जैसे, कृषि, उद्योग-धन्धे, खनिज पदार्थ, व्यापार, यातायात, संचार तथा रोजगार, आदि की अधिकतम पूर्ति पर ध्यान दिया जाता है। सामाजिक नियोजन के अन्तर्गत आने वाले उद्देश्यों में शराब-बन्दी, मातृत्व तथा बाल-कल्याण, पिछड़ी जातियों एवं जनजातियों का कल्याण, आदि प्रमुख हैं। वास्तव में देखा जाए तो सामाजिक नियोजन एक ऐसी व्यापक अवधारणा है जिसमें आर्थिक नियोजन भी सम्मिलित है। **अशोक मेहता** ने बताया है कि सामाजिक नियोजन आर्थिक रूपान्तरण को शामिल करता है, सामाजिक नियोजन भारत की सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित करता है।" वर्तमान भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास की क्रिया साथ-साथ चल रही हैं। इन दोनों में परस्पर अन्तःक्रिया होती रहती है। **तरलोक सिंह** ने बताया है कि "नियोजन के उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक दोनों हैं तथा ये दोनों परस्पर सम्बन्धित हैं।" सामाजिक नियोजन या नियोजित सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य एवं विधियां आर्थिक नियोजन की तुलना में व्यापक होते हैं। **योजना आयोग** (भारत सरकार) के अनुसार, "नियोजन वास्तव में सुपरिभाषित सामाजिक लक्ष्यों की दृष्टि से अधिकतम लाभ उठाने हेतु अपने साधनों को संगठित करने एवं उपयोग में लाने की पद्धति है।" स्पष्ट है कि कुछ निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संगठित या योजनाबद्ध प्रयास को नियोजन के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार से नियोजन द्वारा संगठित प्रयासों की सहायता से सामाजिक परिवर्तन लाना नियोजित या अभिप्रेरित (Induced) परिवर्तन है।

सोच-विचार कर प्रयत्नपूर्वक निश्चित उद्देश्यों को लेकर किसी समाज के विभिन्न पक्षों या सामाजिक-जीवन के विभिन्न पहलुओं को बदलना ही नियोजित सामाजिक परिवर्तन है। **इस परिवर्तन को नियोजित या अभिप्रेरित सामाजिक परिवर्तन**

Scanned with CamScanner

(Planned Social Change) **कहा जाता है जो किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर योजनाबद्ध तरीके से लाया जाता है।** किसी भी समाज में परिवर्तन को नियोजित करने के लिए वहां की परिस्थितियों, लोगों की आवश्यकताओं और साधनों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाना आवश्यक है। अन्य शब्दों में, कुछ लक्ष्यों को निर्धारित कर निश्चित योजना बनाकर संगठित प्रयास द्वारा समाज-जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विचारपूर्वक परिवर्तन लाना ही **'नियोजित एवं अभिप्रेरित सामाजिक परिवर्तन'** (Planned and Induced Social Change) है। लक्ष्यों के निर्धारण और सामाजिक परिवर्तन को दिशा देने में **'सामाजिक नीति'** (Social Planning) महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी विशेष समाज या देश की सामाजिक नीति के अनुरूप ही लक्ष्य बनाये जाते हैं। लक्ष्यों के निर्धारण के पश्चात् इनकी पूर्ति हेतु योजना बनायी जाती है, साधनों को जुटाया जाता है और संगठित प्रयत्न द्वारा समाज के किसी विशिष्ट पहलू या विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन लाया जाता है। यही समाज में या अभिप्रेरित नियोजित सामाजिक परिवर्तन है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नियोजित सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा में तीन बातें प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं : (1) सामाजिक नीति (Social Planning) के अनुरूप निश्चित सामाजिक लक्ष्य, (2) इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध साधनों के अनुरूप कार्यक्रम या योजना, (3) लक्ष्यों के अनुरूप सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु योजना का क्रियान्वयन।

आज इस युग में नियोजित सामाजिक परिवर्तन की ओर समाजों का ध्यान अधिक है।

नियोजित सामाजिक परिवर्तन में प्रमुखतः प्रयास के चार क्षेत्र सम्मिलित किये जाते हैं जो समाज की सामाजिक संरचना को बदलने में योग देते हैं। ये चार क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

(1) मूलभूत सामाजिक सेवाओं जैसे, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास सुविधाओं का विकास।
(2) ग्रामीण एवं नगरीय कल्याण तथा न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सम्मिलित करते हुए समाज-कल्याण।
(3) समाज के दलित एवं कमजोर वर्गों का कल्याण।
(4) सामाजिक सुरक्षा।

उपर्युक्त विवरण से नियोजित सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं प्रकृति स्पष्ट है। **संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि सामाजिक नियोजन एक ऐसा प्रयत्न या पद्धति है जिसके द्वारा समाज को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि सामाजिक न्याय** (Social Justice), **समानता** (Equality), **स्वतन्त्रता** (Liberty) **एवं बन्धुत्व** (Fraternity) **में वृद्धि हो सके और साथ ही सामाजिक स्वास्थ्य को एक स्वचालित गति मिल सके अर्थात् समाज अपने आप उस दिशा में आगे बढ़ सके।** इसे हम योजनाबद्ध तरीके से सामाजिक जीवन को संगठित करने और सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने के प्रयत्न के नाम से भी पुकार सकते हैं। नियोजित परिवर्तन से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं को एक निश्चित अवधि में जन-सहभागिता (People's Participation) को महत्व देते हुए पूर्ण करने पर जोर दिया जाता है।

नियोजित सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य
(AIMS OF PLANNED SOCIAL CHANGE)

नियोजित सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य ऐसे साधनों को विकसित करना है जिनकी सहायता से मानव जीवन को समृद्धशाली तथा समस्याओं को सुलझाकर समाज के सभी सदस्यों के लिए प्रगति के समान अवसर प्रदान करना है। **कार्ल मानहिम** के अनुसार नियोजित सामाजिक परिवर्तन के दो उद्देश्य हैं : **प्रथम**, नियोजित सामाजिक परिवर्तन के अन्तर्गत नियोजन संगत या अवरोधी होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि **योजना में किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए द्वितीय,** नियोजित सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से बनायी गयी **योजना अधिकतर लोगों को स्वीकार होनी चाहिए।** ऐसा उसी समय सम्भव हो सकता है जब सभी प्रमुख समस्याओं एवं सिद्धान्तों के बारे में जनता का एकमत हो।

नियोजित परिवर्तन के प्रमुखतः चार उद्देश्य माने गये हैं :

(1) समाज कल्याण (Social Welfare)
(2) सामाजिक पुनर्निर्माण (Social Reconstruction)
(3) सामाजिक स्थायित्व (Social Stability)
(4) व्यक्तित्व का सम्वर्द्धन या विकास (Enrichment of Human Personality)।

नियोजित सामाजिक परिवर्तन में निरोधात्मक एवं निर्माणात्मक (Preventive and Constructive) दोनों पक्षों पर जोर दिया जाता है। आजकल उसी नियोजन को उपयुक्त समझा जाता है जिसमें इन दोनों तत्वों का समावेश हो। कार्ल मानहिम के अनुसार, नियोजित सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख उद्देश्य पुनर्निर्माण (Reconstruction) है जिसकी प्राप्ति समाज के लोगों की कमियों को दूर करने के बाद की जा सकती है।

स्पेन्सर (Spencer) तथा **कॉम्ट** (Comte) के अनुसार, नियोजित सामाजिक परिवर्तन का मुख्य लक्ष्य सामाजिक पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को क्रियाशील रखने से है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं : (i) समाज के सभी लोगों को आजीविका कमाने और आत्म-विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना; (ii) अविकसित क्षेत्र के विकास का प्रयत्न करना और वहां के लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करना तथा आर्थिक असमानता को दूर करना; (iii) समाज के पिछड़े वर्गों एवं शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाकर उन्हें क्रियान्वित करना; (iv) समाज से अज्ञानता,

Scanned with CamScanner

अशिक्षा, कमी, बेकारी एवं बीमारी को दूर करना; और (v) समाज के सभी व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा (Social Security) की व्यवस्था करना।

ग्रामीण समुदायों का विकास एवं पुनर्निर्माण भी नियोजित सामाजिक परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य है, समग्र रूप से सामाजिक नियोजन का उद्देश्य सारे समाज का कल्याण है। यह उसी समय सम्भव है जब मनुष्यों के विचारों में इस प्रकार के परिवर्तन लाये जायें कि वे ऐसे सामाजिक मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करें जिससे सामाजिक संगठन की सुदृढ़ता को बनाये रखा जा सके। **बॉटोमोर** के अनुसार, "नियोजित सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य मानवीय स्वतन्त्रता एवं बौद्धिकता में विकास करना है जिसके लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।"

जब हम नियोजित सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्यों पर विशेषतः भारत के सन्दर्भ में विचार करते हैं तो पाते हैं कि यहां संविधान एवं पंचवर्षीय योजनाओं में इनका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। **भारत में न्याय, स्वतन्त्रता, समानता एवं बन्धुत्व के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को ध्यान में रखकर नियोजित या अभिप्रेरित सामाजिक परिवर्तन लाने की दृष्टि से अनेक प्रयत्न किये गये हैं।** ये चार वे महत्वपूर्ण आधार हैं। यहां न्याय (Justice) का तात्पर्य ऐसे नियोजित परिवर्तन से है जिससे देश के सभी नागरिकों को समान आर्थिक अवसर या रोजगार की सुविधाएं मिल सकें, साथ ही लोगों में किसी प्रकार का सामाजिक भेद-भाव नहीं हो और राजनीतिक क्षेत्र में सभी समान रूप से अपने अधिकारों का उपभोग कर सकें। **स्वतन्त्रता** (Liberty) का अर्थ ऐसे नियोजित परिवर्तन से है जिससे सभी लोगों को अपने विचार रखने और उन्हें व्यक्त करने की, किसी भी धर्म को मानने की तथा अपने विचारों के अनुसार अपना जीवन चलाने की स्वतन्त्रता हो। **समानता** (Equality) भी नियोजित परिवर्तन का मुख्य लक्ष्य है। यहां इसका तात्पर्य यही है कि देश के सभी नागरिकों को विकास के समान अवसर उपलब्ध हों। यहां नियोजित परिवर्तन के माध्यम से जातीय भेद-भावों, अस्पृश्यता, ऊंच-नीच की भावना, आदि को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। यहां सभी लोगों को चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, व्यवसाय, सम्प्रदाय, प्रान्त, आदि से सम्बन्धित क्यों न हों समान अधिकार दिये गये। **बन्धुत्व** (Fraternity) का तात्पर्य यह भाव जगाने से है कि छोटे-छोटे भेदभावों या मत-मतान्तरों के बावजूद हम सब एक हैं, एक ही देश के नागरिक हैं, हममें एक-दूसरे के साथ बन्धुत्व के सम्बन्ध हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के एक घटक के रूप में समान महत्व देकर और उसके सम्मान को बनाये रखकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है।

भारत में नियोजित (अभिप्रेरित) सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता अथवा महत्व
[NEED OR IMPORTANCE OF PLANNED (INDUCED) SOCIAL CHANGE IN INDIA]

नियोजित सामाजिक परिवर्तन का महत्व भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेषतः पाया जाता है :

(1) **आर्थिक क्षेत्र में** नियोजित सामाजिक परिवर्तन का काफी महत्व है। **भारत एक कृषि-प्रधान देश होते हुए भी कृषि क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है।** इसके अलावा औद्योगीकरण ने भी अनेक गम्भीर समस्याओं को उत्पन्न किया है। यहां विभिन्न वर्गों में तनाव और संघर्ष की स्थिति पायी जाती है। आर्थिक विषमता अर्थात् गरीब और अमीर के बीच बढ़ती खाई, बेकारी, निर्धनता, गन्दी बस्तियां, औद्योगिक असुरक्षा तथा श्रमिकों एवं स्त्री-बच्चों का शोषण, आदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान नियोजित सामाजिक परिवर्तन द्वारा ही सम्भव है। कुटीर उद्योग-धन्धों के विकास की दृष्टि से भी नियोजित सामाजिक परिवर्तन का महत्व कम नहीं है।

(2) **ग्रामीण पुनर्निर्माण** के क्षेत्र में भी नियोजित सामाजिक परिवर्तन का विशेष महत्व पाया जाता है। जिस देश की लगभग 72.2 प्रतिशत जनसंख्या करीब 6 लाख ग्रामों में निवास करती हो वह देश कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को उस समय तक पूरा नहीं कर सकता जब तक कि ग्रामीण पुनर्निर्माण की विभिन्न योजनाओं को वैज्ञानिक आधार पर तैयार नहीं किया जाता। योजनाओं की सफलता उनके ठीक ढंग से क्रियान्वयन पर ही निर्भर करती है।

(3) **समाज कल्याण** की दृष्टि से भी भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन का महत्व कम नहीं है। यहां अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पायी जाती हैं। ये समाज के कमजोर वर्ग हैं जिन्हें सदियों से अभावमय स्थिति में जीवन बिताना पड़ा है। इनमें अज्ञानता और अनेक प्रकार के अन्धविश्वास पाये जाते हैं। राज्य और विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों के सक्रिय प्रयत्नों के बिना समाज के इतने बड़े वर्ग का कल्याण सम्भव नहीं है।

(4) **सामाजिक क्षेत्र** में नियोजित सामाजिक परिवर्तन का काफी महत्व पाया जाता है। यहां एक जाति और दूसरी जाति में सामाजिक दूरी (Social Distance), जातिवाद और अस्पृश्यता से सम्बन्धित समस्याएं पायी जाती हैं। यहां कला और मनोरंजन के क्षेत्र में भी अधःपतन होता जा रहा है। अपराध, बाल-अपराध, श्वेतवसन अपराध, आत्महत्या, वेश्या-वृत्ति, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, बेकारी, निर्धनता, युवा असन्तोष एवं सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार, आदि बढ़ते ही जा रहे हैं। इन सभी समस्याओं को सुलझाने और विघटन

Scanned with CamScanner

से पुनर्गठन की ओर बढ़ने के लिए नियोजित सामाजिक परिवर्तन ही एक प्रभावपूर्ण तरीका है।

(5) **जनसंख्या-नियन्त्रण** की दृष्टि से भी सामाजिक नियोजन का काफी महत्व है। भारत में 1951 में कुल 36 करोड़ जनसंख्या थी जो 2001 में बढ़कर 102.88 करोड़ हो गयी। इस तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियन्त्रित किये बिना देश को समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाना सम्भव नहीं है। इस प्रयत्न में सफलता उसी समय मिल सकती है जब लोगों को तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के खतरों से परिचित कराया जाय तथा प्रचार, प्रोत्साहन एवं विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों द्वारा **परिवार कल्याण कार्यक्रम** (Family Welfare Programme) में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाए।

(6) **धार्मिक क्षेत्र** में भी नियोजित सामाजिक परिवर्तन का महत्व कम नहीं है। सामाजिक नियन्त्रण के एक प्रमुख साधन के रूप में धर्म का विशेष स्थान रहा है, लेकिन मध्यकाल में यहां स्मृतिकालीन धर्म का विकास हुआ जो अनेक धार्मिक रूढ़ियों, अन्धविश्वासों और कुरीतियों के लिए उत्तरदायी है। यहां धर्म के नाम पर विधवा-पुनर्विवाह पर निषेध लगाया गया और बाल-विवाहों को प्रोत्साहित किया गया। सती-प्रथा, देवदासी प्रथा, अस्पृश्यता, भिक्षावृत्ति, मृत्युभोज, धार्मिक कर्मकाण्ड, साम्प्रदायिकता को धर्म के साथ जोड़ा गया। नियोजित ढंग से कानून बनाकर ही धर्म से सम्बन्धित उपर्युक्त कुरीतियों और समस्याओं से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं
(SALIENT FEATURES OF PLANNED SOCIAL CHANGE)

भारत में नियोजन की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण निम्नलिखित हैं :

(1) **लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण**—आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषता—निश्चित लक्ष्यों का निर्धारण है। यह लक्ष्य पहले से खूब सोच-विचारकर निर्धारित कर दिये जाते हैं।

(2) **संगठित प्रणाली**—आर्थिक नियोजन की दूसरी विशेषता यह है कि इसके लिए एक संगठित प्रणाली या ढंग के रूप में कार्य किया जाता है।

(3) **केन्द्रीय नियोजन व्यवस्था**—आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत नियोजन का कार्य एक केन्द्रीय नियोजन संस्था को सौंपा जाता है।

(4) **निश्चित अवधि**—आर्थिक नियोजन की चौथी विशेषता यह है कि यह एक निश्चित अवधि के लिए होता है जिसमें निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किये जाते हैं।

(5) **सरकारी कार्यक्रम**—आर्थिक नियोजन सरकारी रणनीति (Strategy) का एक भाग होता है। इसका अर्थ यह है कि इसको सरकारी कार्यक्रम के रूप में ही अपनाया जाता है।

(6) **राज्य द्वारा हस्तक्षेप**—आर्थिक नियोजन की छठवीं विशेषता यह है कि इसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है और निजी उद्योगों व संस्थाओं को भी राजकीय निर्देशों का पालन करना पड़ता है।

(7) **सामाजिक उत्थान**—आर्थिक नियोजन का उद्देश्य सामाजिक उत्थान करना होता है जिससे कि समाज का विकास हो।

(8) **साधनों का अधिकतम उपयोग**—आर्थिक नियोजन की एक विशेषता यह है कि इसमें साधनों का विवेकपूर्ण एवं अधिकतम उपयोग किया जाता है।

(9) **दीर्घकालीन प्रक्रिया**—आर्थिक नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। इसमें एक के बाद एक योजनाएं चलायी जाती हैं जिनमें आपस में दीर्घकालीन सम्बन्ध होता है।

पंचवर्षीय योजनाएं
(FIVE YEAR PLANS)

आज पिछड़े हुए अविकसित राष्ट्र विकासशील और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आना चाहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र योजनाबद्ध प्रयत्नों के द्वारा एक निश्चित अवधि में कुछ सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, अपनी समस्याओं से मुक्ति पाना एवं अभावों पर विजय पाना चाहता है। ऐसा करने के लिए वह नियोजन या आयोजन का सहारा लेता है। रूस से प्रेरित होकर विश्व के अन्य देशों ने भी अपने यहां योजनाबद्ध विकास-कार्य को अपनाया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत में भी समाज कल्याण एवं सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनायी गयीं। 150 वर्षों के अंग्रेजी शासन काल में देश की अर्थ-व्यवस्था चरमरा गयी थी, अनेक सामाजिक-आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गयी थीं जिनसे मुक्ति पाने के लिए योजनाबद्ध विकास ही एकमात्र उपाय था। अतः 1951 से देश में पंचवर्षीय योजनाएं प्रारम्भ की गयीं जिनके माध्यम से समाज-कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने की दृष्टि से काफी प्रयत्न किये गये।

भारत में पंचवर्षीय योजनाएं

पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा भारत सरकार ने देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान की और सामाजिक कल्याण के लिए योजनाबद्ध प्रयत्न किए। विभिन्न योजनाओं के उल्लेख से यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1951-56

दिसम्बर, 1946 में श्री के. सी. नियोगी की अध्यक्षता में सलाहकार योजना बोर्ड की स्थापना की गयी जिसने योजना आयोग स्थापित करने की सलाह दी। उसी सलाह को ध्यान में

Scanned with CamScanner

1991 में शीघ्र और मूल्यांकन अध्ययनों में तकनीकी और शैक्षिक सहायता में वृद्धि करने के लिए **राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान** की स्थापना की गई।

(10) **अन्य कल्याण कार्यक्रम**

(1) अपराधियों के लिए **आदर्श जेलों की स्थापना** की गयी है। जेलों में कैदियों को विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं जिससे वे सजा काटने के बाद अपराधी जीवन से मुक्ति पा सकें। उनके लिए प्रोबेशन एवं पेरोल सेवाएं उपलब्ध करायी जाने लगी हैं।

(2) बाल-अपराधियों एवं स्त्री-अपराधियों के लिए अलग से जेलों का प्रबन्ध किया गया है। बाल-अपराधियों के लिए **सर्टिफाइड स्कूल, बोर्स्टल, रिमाण्ड होम एवं बाल न्यायालयों की स्थापना** की गयी है। इनका उद्देश्य बाल-अपराधियों को सुधारना है।

(3) कई राज्यों ने **भिक्षावृत्ति उन्मूलन अधिनियम पास किए** हैं और कई स्थानों पर **'बैगर होम'** (Beggar Home) तथा **'रैन बसेरा'**, आदि की व्यवस्था की गयी है।

(4) **वृद्धावस्था कल्याण**—1981 में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 4 करोड़ 45 लाख (6.2%) थी जो 1991 में 5 करोड़ 42 लाख (6.5%) हो गई तथा वर्तमान में बढ़कर 7.6 करोड़ हो गयी है। कल्याण मन्त्रालय ने वृद्धों की देखभाल, आवास, चिकित्सा, आदि के लिए एक नई योजना आरम्भ की है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित योजना जारी है। इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों को परियोजना लागत की 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत 863 वृद्धाश्रम (दिन में देखभाल करने वाले केन्द्र), सचल अस्पताल कार्य कर रहे हैं।

(5) वेश्यावृत्ति को सीमित एवं समाप्त करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। 1956 का **'स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम'** इस ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

(6) **मद्यपान, जुआखोरी, आत्महत्या तथा नशीले पदार्थों के उपयोग पर नियन्त्रण** लगाने के लिए 1975 में 'राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान' (National Institute of Social Defence) स्थापित किया गया।

नियोजित सामाजिक परिवर्तन से सम्बन्धित कार्यक्रमों के फलस्वरूप भारत में विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन

(1) **कृषि का विकास हुआ है**, औद्योगीकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है, प्रतिव्यक्ति आय बढ़ी है, रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठा है।

(2) **शिक्षा का प्रचार और प्रसार बढ़ा है।** शिक्षा ने लोगों को अन्धविश्वासों और सड़ी-गली कुप्रथाओं से मुक्त होने में योग दिया है। इससे लोगों में जागरूकता लाने, नयी प्रेरणाओं का संचार करने और आकांक्षाओं के स्तर को ऊंचा उठाने में काफी योग मिला है।

(3) **जनसंख्या को नियन्त्रित करने की दृष्टि से भी देश में काफी कुछ किया गया है** और प्रतिवर्ष परिवार-नियोजन कार्यक्रम पर करोड़ों रुपया खर्च होता है। अब शिक्षित लोग छोटे परिवार के महत्व को समझने लगे हैं।

(4) **परिवारों का आकार छोटा हुआ है। लोगों का झुकाव अब संयुक्त परिवार से नाभिक परिवार की ओर है।** परिवार में पत्नी और बच्चों का महत्व बढ़ा है।

(5) **स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में काफी सुधार हुआ।** अब उन्हें घर के बाहर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिला है। आज आर्थिक दृष्टि से बहुत सी स्त्रियां स्वतन्त्र हैं, स्वयं नौकरी करती हैं या कोई व्यवसाय करती हैं। अब उनकी सामाजिक स्थिति घर की दासी के रूप में नहीं है। विभिन्न अधिनियमों ने उनकी सामजिक स्थिति को सुधारने में अपूर्व योग दिया है। उन्हें वैवाहिक, पारिवारिक तथा अन्य क्षेत्रों में पुरुषों के समक्ष अधिकार प्राप्त हैं।

(6) **विवाह के क्षेत्र में काफी परिवर्तन आए हैं।** अब लोग विधवा-विवाह को अनुसूचित नहीं समझते। परिणामस्वरूप ऐसे विवाहों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हिन्दू विवाह अधिनियम ने स्त्री-पुरुषों को समान रूप से विवाह-विच्छेद का अधिकार दिया है। अब अन्तर्जातीय विवाह होने लगे हैं। विलम्ब विवाह (Late Marriage), प्रेम विवाह (Love Marriage) और 'कोर्ट मैरिज' या न्यायालय के माध्यम से विवाह करने वाले लोगों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

(7) **जाति-पांति के बन्धन अब शिथिल हुए हैं।** अब विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एक-दूसरे के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। आज सभी जातियों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं। **विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक दूरी** (Social Distance) **भी कम हुई है।** अब बहुत से लोग जाति-पांति की चिन्ता किए बिना एक साथ उठते-बैठते, खाते-पीते और साथ-साथ काम करते हैं। आजकल जाति-व्यवस्था में वर्ग-व्यवस्था की कुछ विशेषताएं आती जा रही हैं।

(8) 'अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955' के पारित होने के बाद और साथ ही सरकारी और गैर-सरकारी प्रयत्नों के **फलस्वरूप अस्पृश्यता धीरे-धीरे कम होती जा रही है।** अनुसूचित जातियों के लोग सरकार द्वारा मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होता जा रहा है। अब स्वतन्त्रता के पूर्व अस्पृश्य समझे

Scanned with CamScanner

जाने वाले लोगों को समाज के अन्य लोगों के समकक्ष आने का अधिकार और सुविधाएं मिली हैं।

(9) विभिन्न श्रम-कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं के फलस्वरूप **श्रमिक की स्थिति में भी सुधार हुआ है।** इनके लिए समय-समय पर पारित विभिन्न अधिनियमों ने इन्हें मिलमालिकों या पूंजीपतियों के शोषण से राहत प्रदान की है। श्रम संगठनों ने भी श्रमिकों को स्थिति को उन्नत करने में योग दिया है। अब श्रमिकों को अधिक स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में काम करने की सुविधाएं मिली हैं। इनका वेतन, काम के घण्टे, छुट्टियां, बोनस, आदि निश्चित हैं। उन्हें अब चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

(10) नियोजित सामाजिक परिवर्तन से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों ने व्यक्ति की योग्यता, गुणों, शिक्षा, प्रशिक्षण, आदि के महत्व को बढ़ाकर **प्रदत्त प्रस्थिति** (Ascribed Status) **के बजाय अर्जित प्रस्थिति** (Achieved Status) **के महत्व को बढ़ाने में सहयोग दिया है।** अब उस व्यक्ति का अधिक महत्व है जो किसी उच्च पद पर आसीन है या जो आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न है, चाहे उसकी जाति निम्न से निम्न ही क्यों न हो। भारतीय समाज में जहां सदियों से जन्म को विशेष महत्व दिया गया, प्रदत्त स्थिति को ही सब कुछ माना गया, अब उपलब्धि (Achievement) का महत्व बढ़ता जा रहा है। यह सामाजिक संरचना की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

(11) **अब भारत में शक्ति-संरचना** (Power Structure) **में भी परिवर्तन आया है।** अब प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली में उच्च जाति के लोगों को निम्न जातियों के लोगों के पास चुनाव के अवसर पर वोट मांगने जाना पड़ता है। इससे निम्न जातियों को संगठित होने और चुनावों में अपनी संख्या की शक्ति को पहचानने का अवसर मिला है। विधानसभाओं और लोक-सभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित होने से अब इन्हें राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने और नेतृत्व में आने का अवसर मिला है। अब शक्ति-संरचना में केवल कुछ उच्च जातियों के लोगों का ही महत्व नहीं रहा है, निम्न समझी जाने वाली जातियों के लोगों को भी शक्ति के पदों को प्राप्त करने का अवसर मिला है।

(12) नियोजित सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से प्रारम्भ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप अब देश **परम्परावादिता से** (Traditionalism) **आधुनिकीकरण** (Modernization) की ओर बढ़ रहा है। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव, शिक्षा, ज्ञान, तार्किकता, मानवतावादी मूल्यों, आदि के प्रचार-प्रसार के कारण अब लोग पुरानी परम्पराओं से चिपके नहीं रहना चाहते। अब वे किसी चीज के गुणों के विश्लेषण के आधार पर उसे स्वीकार या अस्वीकार करने लगे हैं।

(13) नियोजित सामाजिक परिवर्तन से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों के फलस्वरूप देश के करोड़ों लोगों को आगे बढ़ने, प्रगति करने तथा अपने जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने का अवसर मिला है। अब उनमें सामाजिक और राजनीतिक चेतना दिखायी पड़ती है। परन्तु आज का व्यक्ति विभिन्न कारणों के सयुंक्त प्रभाव के फलस्वरूप अपने में सिमटता या संकुचित होता जा रहा है। अब उसे अपने समुदाय, समाज और देश की चिन्ता कम है। अब अपनी ही सुख-सुविधाओं में डूबा रहना चाहता है। आज के इस भौतिकवादी युग में व्यक्तिवादिता विशेष रूप से बढ़ी है। व्यक्तिवादी और भौतिकवादी दृष्टिकोण ने व्यक्ति को अधिक स्वार्थी बना दिया है। परिणाम यह हुआ है कि नियोजित सामाजिक परिवर्तन से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का जितना लाभ जिन-जिन लोगों, समूहों वर्गों, सम्पूर्ण समाज और देश को मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिल पाया है। कुछ शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति एवं समूह ही इनका अपने स्वयं के हित में पूरा-पूरा लाभ उठा पाए हैं। फिर भी इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि **विभिन्न विकास कार्यक्रमों एवं पंचवर्षीय योजनाओं ने लोगों में प्रेरणा का संचार किया है, उनकी आकांक्षाओं के स्तर को ऊंचा उठाया है, सामाजिक परिवर्तन की गति को तेज किया है।**

पंचायती राज
(PANCHAYATI RAJ)

भारत आदिकाल से ही ग्राम-प्रधान देश रहा है। इसकी संस्कृति को ग्रामीण संस्कृति कहा जा सकता है। इन गांवों का प्रशासन एवं संगठन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता रहा है और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से प्रत्येक गांव एक स्वतन्त्र इकाई रहा है, किन्तु अंग्रेजों के आने से एवं औद्योगीकरण एवं नगरीकरण की हवा ने परम्परागत ग्राम व्यवस्था को बदल दिया और गांवों को आधुनिकता से परिचित कराया। गांवों में अनेक सामाजिक-आर्थिक समस्याएं पैदा हुईं जिनका समाधान करने के लिए सरकार ने गांवों में ग्राम पंचायतों को आधार बनाया और उनके माध्यम से ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं पुनरुत्थान के प्रयत्न किए। हम यहां ग्रामीण भारत में पंचायती राज संस्थाओं के महत्व का उल्लेख करेंगे।

स्वतन्त्र भारत में ग्राम पंचायतों का संगठन : पंचायती राज
(ORGANIZATION OF GRAM PANCHAYATS IN INDEPENDENT INDIA : PANCHAYATI RAJ)

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् नेताओं का ध्यान ग्रामीण पुनर्निर्माण और पंचायतों की पुनः स्थापना की ओर गया। महात्मा गांधी का कहना था कि स्वतन्त्रता का प्रारम्भ धरातल से होना

Scanned with CamScanner